

पत्र सं० 438/ फाइल सं० 1/ दिनांक 22-3-2011

संख्या—जी0आई0:-2642/7-1-2011-600(3295)/2009.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2011.

विषय:- जनपद-चमोली में तहसील, गैरसेण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
1.62 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 2110/1जी-2918 (चमोली) दिनांक 22-02-2011 के सन्दर्भ में
मुझे यह कहने का निंदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली में तहसील, गैरसेण के अन्तर्गत
देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण
विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४वी/यूसी.पी.
/06/344/2009/एफ.सी./2324 दिनांक 08-02-2011 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न आलोचना पर
प्रदान करते हैं :-

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिह्नित 3.24 हेठो देवलकोट अवनत सिविल एवं सोयम
क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना
के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के
नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग के पक्ष में
नामान्तरित/हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो नायः सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः
समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या
11-177/2010-एफसी दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा संधिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को सम्पन्न थैरक में लिये गये निर्णय को
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन
रहाया यन्म पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय
लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की
जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित
किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त मूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा यह उक्त मूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को वापस देना आवश्यक नहीं है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाद्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन मूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक वनीं रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन मूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अंथवा उक्त भूमि को ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य यत्न की संस्कृतियों एवं मू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जननुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को एसोइ गैस/किरेसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी; जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन मूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन मूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्गाण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डिमिंग स्थलों को चयनित कर चिह्नित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-१०४/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि०-दि०-१-१-२००१, कार्यालय-ज्ञाप-सं०-११०/२६/-प्र०स०-आ०व०ग्रा०-वि० द्वारा-प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।